

भाग क**राजस्व प्राप्ति**

नीचे दिए गए विवरण में 2010-11 के लिए राजस्व प्राप्ति के अनुमानों का सारांश स्थूल श्रेणीवार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2009-2010 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2010-2011 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1-4-1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया है, के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करें तथा शुल्कों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करें तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकरण को छोड़कर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगे तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा यथा निर्धारित उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2010-2015 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

	बजट 2009-10	संशोधित 2009-10	(करोड़ रुपये) बजट 2010-11
I. कर राजस्व			
निगम कर	256725	255076	301331
आय पर कर	112850	131421	128066
धन कर	425	511	603
सीमा शुल्क	98000	84477	115000
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	106477	102000	132000
सेवा कर	65000	58000	68000
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1602	1610	1651
जोड़-कर राजस्व	641079	633095	746651
जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि-एनसीसीएफ को वित्तपोषित करने के लिए एनसीसीडी/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि-एनडीआरएफ)	2500	3160	3560
सकल कर राजस्व का शेष	638579	629935	743091
घटाइए-राज्यों का हिस्सा# :	164361	164832	208997
केन्द्र का निवल कर राजस्व	474218	465103	534094
II. कर-भिन्न राजस्व			
ब्याज प्राप्ति	19174	19212	19253
लाभांश और लाभ	49750	51983	51309
अन्य कर-भिन्न राजस्व	70601	39923	76631
संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	754	1073	925
जोड़-कर-भिन्न राजस्व	140279	112191	148118
निवल-केन्द्र का राजस्व	614497	577294	682212

केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यवार वितरण अनुबंध-1 में दर्शाया गया है।

कर-राजस्व**निगम कर**

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(क) संग्रहण	218209	223082	273146
(ख) अधिभार	26090	20077	18437
(ग) शिक्षा अधिभार	7804	7295	8748
(घ) विविध प्राप्ति	4622	4622	1000
जोड़	256725	255076	301331

निगम-कर से भिन्न आय पर कर*

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(क) संग्रहण	108439	126480	123802
(ख) अधिभार	400	400	50
(ग) शिक्षा उपकरण	3296	3794	3714
(घ) विविध प्राप्ति	665	665	500
(ङ) अन्य कर (बैंकिंग नकद लेन-देन कर)	50	82	0
जोड़	112850	131421	128066

* इसमें अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर की प्राप्ति और बैंकिंग नकद लेन-देन कर शामिल हैं।

सीमा शुल्क

2009-2010 के लिए सीमा शुल्क के संशोधित अनुमान, बजट अनुमान 98000 करोड़ रुपए की तुलना में 84477 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2010-11 के लिए बजट अनुमान 115000 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का खण्ड-वार विवरण नीचे दिया गया है :

	बजट 2009-10	संशोधित 2009-10	(करोड़ रुपए) बजट 2010-11
(क) आयात शुल्क	95415	81527	111720
(क) बुनियादी शुल्क	35275	29767	49215
(ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	36465	33435	40720
(ग) विशेष सीवी शुल्क	19650	14085	17505
(घ) मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0	95	0
(ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0	395	3
(च) मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0	290	0
(छ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	815	900	960
(ज) शिक्षा उपकर	2140	1700	2210
(झ) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	1070	860	1110
(ख) निर्यात शुल्क	350	300	350
(ग) निर्यात पर उपकर	30	55	65
(घ) अन्य प्राप्तियां	2205	2595	2865
जोड़ (क+ख+ग+घ)	98000	84477	115000

(i) **बुनियादी सीमा शुल्क** : बुनियादी सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

(ii) **अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)** : अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत लगाया जाता है, जो कि घरेलू रूप से विनिर्मित ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनवैट दर को 01.03.2008 से 16% से घटाकर 14% किया गया है। इसे 7.12.2008 से और अधिक घटाकर 10% तथा 24.2.2009 से 8% किया गया। ये दरें इस स्तर पर वर्ष 2009-10 के दौरान बनी रहीं।

(iii) **विशेष सी.वी. शुल्क** : विशेष सी.वी. शुल्क सभी आयातित वस्तुओं पर, जिसके कुछ अपवाद हैं, 4% की दर से राज्य वैट, केन्द्रीय बिक्री कर आदि जैसे घरेलू लेवी की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ लगायी जाती है।

(iv) **मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क** : मोटर स्प्रिट पर यह शुल्क वित्त अधिनियम (संख्या 2), 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे साधारणतः सड़क उपकर के रूप से जाना जाता है।

(v) **हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क** : हाई स्पीड डीजल तेल पर यह शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा लगाया जाता है। इसे साधारणतः सड़क उपकर के रूप से जाना जाता है।

(vi) **मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क** : वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसे साधारणतः सड़क उपकर के रूप से जाना जाता है।

(vii) **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क** : यह शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के अंतर्गत लगाया गया था। यह कर मोटर कार, आयातित बहु-उपयोगी वाहनों, पालिस्टर फिलामेंट यार्न तथा दुपहियों पर भी लगाया जाता है। वर्ष 2008-09 के बजट से पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क हटा लिया गया है और 1 प्रतिशत की दर पर मोबाइल फोन पर लगा दिया गया है।

(viii) **शिक्षा उपकर** : शिक्षा उपकर समग्र सीमाशुल्क की राशि पर (धारा 8ख तथा 8ग के अंतर्गत सुरक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत सीवीडी तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अंतर्गत डंपिंग-रोधी शुल्क को छोड़कर) 2% की दर से लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत निश्चित दरों पर सीमाशुल्क के अंतर्गत आने वाली मदों को इस उपकर से छूट दी गयी है।

(ix) **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर** : समग्र सीमाशुल्क की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(x) **निर्यात शुल्क** : लोहे और क्रोमियम के अयस्क और संकेन्द्रण पर लगाया जाता है। दिनांक 24.02.2009 से अयस्क लौह (पिण्ड) पर निर्यात शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत यथा मूल्य पर और अयस्क लौह (परिष्कृत) पर इसे 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया।

(xi) **बकाया संग्रहण** : सं.अ. 2009-10 और ब.अ. 2010-11 में क्रमशः 900 करोड़ रुपए और 900 करोड़ रुपए की राशि के बकाए सीमाशुल्क को शामिल किया गया है।

संघ उत्पाद शुल्क

2009-10 के संघ उत्पाद शुल्क का संशोधित अनुमान 102000 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 106477 करोड़ रुपए है।

2010-11 के लिए बजट अनुमान 132000 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का खण्ड-वार विवरण नीचे दर्शाया गया है।

	बजट 2009-10	संशोधित 2009-10	(करोड़ रुपए) बजट 2010-11
1. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क को छोड़कर	62685	62841	87722
2. मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त शुल्क	3765	3245	3440
3. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क	12915	11155	11824
जोड़ (1+2+3)	79365	77241	102986
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	2195	2260	2600
5. मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त शुल्क	11295	9840	10800
6. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	1405	985	1085
7. निम्नलिखित द्वारा प्रशासित उपकर			
(i) राजस्व विभाग	10740	10065	13000
(क) शिक्षा उपकर	2120	2050	2610
(ख) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	1060	1025	1305
(ग) अन्य	7560	6990	9085
(ii) अन्य विभागों द्वारा	1477	1609	1529
कुल उपकर (i+ii)	12217	11674	14529
जोड़ (1+2+3+4+5+6+7)	106477	102000	132000

1. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क : बुनियादी उत्पाद शुल्क तथा विशेष उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभार्य हैं। बजट 2008-09 में औसत सेन वेट दर 01.03.2008 से 16% से घटाकर 14% कर दी गई है। इसे 7.12.2008 से और घटाकर 10% तथा आगे और घटाकर 24.2.2009 से 8% कर दिया गया था। ब्रांड मुक्त उच्च स्पीड डीजल (एचएसडी) पर सीमा शुल्क को 2.60 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 1.60 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। इन दरों को 2009-10 के दौरान बनाए रखा गया।

2. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि : वित्त अधिनियम, 2001 के अनुसार पान मसाले और कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाया गया था। वित्त विधेयक, 2003 द्वारा इस लेवी को निम्नलिखित पर क्षेत्र विस्तारित किया गया था:-

(क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटरकार, दुपाहिया वाहन और बहुपयोगी वाहन 1% की दर से; और

(ख) कच्चा पेट्रोलियम तेल 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से

3. शिक्षा उपकर : शिक्षा उपकर सकल उत्पाद शुल्कों पर 2% की दर पर प्रभार्य है।

4. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : उत्पाद शुल्क पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर प्रभार्य है।

5. मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : वित्त अधिनियम (संख्या 2) 1998 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है। इसे सड़क उपकर के नाम से जाना जाता है।

6. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है। इसे सड़क उपकर के नाम से जाना जाता है।

7. मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क प्रभार्य है। इसे अधिभार के नाम से जाना जाता है।

8. पान मसाले और तंबाकू उत्पादों पर अधिभार : वर्ष 2005-06 के बजट में विनिर्दिष्ट दरों पर सिगरेट, पान मसाले और कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। बीड़ी पर यह लेवी नहीं लगेगी।

9. बकाया संग्रहण : सं.अ. 2009-10 और ब.अ. 2010-11 में केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया के संग्रहण के रूप में क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

* अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. कोयला और कोक	515.00	515.00	579.38
2. नमक	4.00	3.20	3.60
3. प्रदूषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण	240.00	250.000	0.00
4. रबड़	100.00	110.00	123.75
5. बीड़ी निधि	214.00	238.70	268.54
6. अभ्रक खानें	3.50	3.50	3.94
7. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	25.00	25.00	28.13
8. लाइम स्टोन व डोलोमाइट	25.00	25.00	28.13
9. सिने निर्माण कार्य	2.50	2.50	2.81
10. अनुसंधान और विकास	345.00	431.80	485.78
11. अन्य लेखों के अन्तर्गत उपकर	3.25	4.00	4.50
जोड़	1477.25	1608.70	1528.56

सेवा कर

65000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2009-2010 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 58000 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2010-2011 का बजट अनुमान 68000 करोड़ रुपए है।

शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर कुल सेवा कर की क्रमशः 2% और 1% की दर पर प्रभार्य हैं। सेवा कर के बकाया संग्रहण के रूप में 2009-10 के संशोधित बजट अनुमान में 1600 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2010-11 में 1350 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	बजट	संशोधित	(करोड़ रुपए) बजट
	2009-10	2009-10	2010-11
भू-राजस्व	4.51	4.00	5.56
स्टाम्प और पंजीकरण	119.40	121.60	121.61
राज्य उत्पाद शुल्क	191.13	205.25	206.80
बिक्री कर	1215.06	1205.06	1240.06
वाहनों पर कर	44.32	44.47	46.95
सामान और यात्रियों पर कर	4.52	4.52	4.35
बिजली पर कर और शुल्क	14.00	14.00	14.20
अन्य कर और शुल्क	9.40	10.72	11.39
जोड़	1602.34	1609.62	1650.92

कर राजस्व का बकाया

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 (एफआरबीएम नियमावली) के नियम 6 के अनुपालन में प्रमुख करों के संबंध में जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व संबंधी प्रकटन विवरण अनुबंध 10 में दिया गया है।